

राजस्थान सरकार
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005

क्रमांक : RMSC / मु.फ्रा. / 2011/320

दिनांक : 22-09-2011

-: आदेश :-

02 अक्टूबर, 2011 से "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" का शुभारम्भ किया जा रहा है। अतः निम्नानुसार जिला प्रभारी अधिकारियों को लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23 व 24 सितम्बर को अपने—अपने आवंटित जिलों में जाकर इस योजना की तैयारी की समीक्षा करें। इस योजना का पूर्वाभ्यास 23 सितम्बर को किया जाना प्रस्तावित है। पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित दिशा निर्देश निम्न प्रकार है —

- दिनांक 23 सितम्बर से दवा वितरण केन्द्रों पर सभी स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- राज्य स्तर से भिजवाई गई आई.ई.सी. सामग्री दवा वितरण केन्द्र पर लगवाये व दवा वितरण केन्द्र का पूर्णतया कार्यशील स्थिति में होना सुनिश्चित करें।
- पूर्वाभ्यास के दिन बाह्य रोगी उपचार पत्र (Prescription Slip) से लेकर दवा का वितरण होना सुनिश्चित करें।
- पूर्वाभ्यास के दिन से ही सॉफ्टवेयर में डेटा एन्ड्री ऑपरेटर द्वारा सभी प्रविष्टियों का इन्ड्राज भी होना सुनिश्चित करें।

जिला औषधि भण्डार एवं निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों की तैयारी की भी विस्तृत समीक्षा करें व कभी पाई जाने पर उसका निराकरण यथा सम्भव मौके पर ही करना सुनिश्चित करें। समस्त जिला प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2011 को ली जाने वाली विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (V.C.) में अपने आवंटित जिला मुख्यालय के कलकट्रेट स्थित (V.C.) रूम में उपस्थित रहें। समस्त जिला प्रभारियों से अपेक्षा की जाती है कि जिला परियोजना समन्वयक से समन्वय स्थापित कर आर.एम.एस.सी. द्वारा की जाने वाली दवा आपूर्ति की स्थिति का आंकलन करें व दवाईयां निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर पहुंच जाएं, इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। दिनांक 26 सितम्बर, 2011 तक उक्त रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव की मेल आई.डी phsrajasthan@gmail.com पर अवश्य भिजवाए।

इसके साथ ही दिनांक 30 सितम्बर, 01 एवं 02 अक्टूबर को भी अपने आवंटित जिलों में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 30 सितम्बर एवं 01 अक्टूबर को "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" की समस्त तैयारियों की समीक्षा कर दवा वितरण केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को उचित प्रकार से दवा वितरण की व्यवस्था इत्यादि होना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 02 अक्टूबर को योजना के उद्घाटन समारोह तथा चिकित्सा शिविर में उपस्थित रहेंगे। विस्तृत रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

क्र.सं.	जिला अधिकारी का नाम/पद	जिला
1.	डॉ. एम.एल जैन, निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय, जयपुर	उदयपुर
2.	डॉ. प्रदीप शारदा, निदेशक (एड्स) मुख्यालय, जयपुर	अजमेर
3.	श्री वी.एस. बांकावत, परियोजना निदेशक (एनआरएचएम), मुख्यालय, जयपुर	दौसा
4.	श्री बी.के. दोषी, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर	सिरोही
5.	डॉ. जे.पी. धर्मीजा, अतिरिक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर	गोगानगर, हनुमानगढ़
6.	डॉ. एम.पी. बुढानिया, अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच) मुख्यालय, जयपुर	बीकानेर
7.	डॉ. के. एन. गुप्ता, राज्य क्षय रोग नियंत्रक अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर	प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़
8.	डॉ.पी.सी. डिडोरिया, राज्य कुष्ठ रोग नियंत्रक अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर	झूंगरपुर
9.	डॉ. हंसराज, संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर	पाली
10.	डॉ. जी.एस. खन्ती, संयुक्त निदेशक (अन्धता), मुख्यालय, जयपुर	चूल
11.	डॉ. बी.एल.शर्मा, संयुक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), मुख्यालय, जयपुर	टोक
12.	डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, उपनिदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर	नागौर
13.	डॉ. के. के. कानूनगों, उप निदेशक, (मलेरिया), मुख्यालय, जयपुर	झुंझुनूं सीकर
14.	डॉ. माधुरी जैन, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर	जयपुर I तथा II
15.	डॉ. प्रशान्त, संयुक्त निदेशक (बाढ़ नियंत्रण) मुख्यालय, जयपुर	करौली
16.	डॉ. सी.एल.मीणा, संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर	अलवर
17.	डॉ. रामरूप मीणा, उप निदेशक (प.क.), मुख्यालय, जयपुर	भरतपुर, धौलपुर
18.	डॉ. वी.के. माथुर, संयुक्त निदेशक, जोन-अजमेर	भीलवाड़ा
19.	डॉ. रमेश माथुर, संयुक्त निदेशक-जोधपुर	जैसलमेर, जालौर
20.	डॉ. एस.एम. मित्तल, संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, जयपुर	झालावाड़
21.	डॉ. के.सी. मीणा, संयुक्त निदेशक (आईसीडीएस), मुख्यालय, जयपुर	बाड़मेर
22.	डॉ. रामावतार जायसवाल, उप निदेशक (पीएफए), मुख्यालय, जयपुर	बूंदी
23.	डॉ. एल.एल. दातोनिया, उप निदेशक (टीकाकरण), मुख्यालय, जयपुर	सवाई माधोपुर
24.	डॉ. अखिलेश माथुर, संयुक्त निदेशक, जोन-उदयपुर	राजसमन्द
25.	डॉ. जे.पी. सिंघल, अतिरिक्त निदेशक राजपत्रित, मुख्यालय, जयपुर	बांसवाड़ा
26.	डॉ. हेमराज नियरता, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर	बारां
27.	डॉ. नरेश कुमार, नॉडल अधिकारी, जैसलमेर	कोटा

क्र.सं.	जिला अधिकारी का नाम/पद	जिला
28.	श्री किशनाराम, पीडी, एमएमजेआरके	जोधपुर

प्रमुख शासन सचिव
 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
 राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी।
6. निदेशक, जनस्वास्थ्य / आरसीएच / आईईसी / एड्स / एचए।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला प्रभारी।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त जिला परियोजना समन्वयक (आरएचएसडीपी)।
13. रक्षित प्रत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव,
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
 प्रबन्ध निदेशक
 राज. चि. सेवा निगम